प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 मई 2011 को जारी अधिसूचना, जिसके अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा के निर्देशन एवं सहायता हेतु अधिकृत किया गया है, इसके अन्तर्गत इस प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 3 में शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के क्रमशः लेखे एवं वित्त के पर्यवेक्षण शामिल है।

अध्याय 2 में ''पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि'' एवं ''इलाहाबाद नगर निगम के कार्यविधि'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, के निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के 'बैंक खातों के प्राधिकार, खोलने, संचालन एवं समाशोधन पर' विस्तृत प्रस्तर एवं शहरी स्थानीय निकाय के अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्ष शामिल है। अध्याय 4 में विकेन्द्रीकृत शासन जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में खाते के अनुरक्षण की स्थिति पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जिला आजमगढ में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य पर विस्तृत प्रस्तर एवं पंचायती राज संस्थाओं के अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्ष शामिल है।

इस प्रतिवेदन में ऐसे प्रकरणों को निर्दिष्ट किया गया है जो कि वर्ष 2012–13 की अवधि में खातों के नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये साथ ही साथ उनकों भी जो पिछले वर्षो में संज्ञान में आ गए थे किन्तु उनका वर्णन पिछली प्रतिवेदनों में नही किया गया था। वर्ष 2011–13 के परवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों को जहां कहीं आवश्यक था, शामिल किया गया।